

(5) No conductor shall lend or transfer the badge to any person. Any person finding the badge shall, unless he returns the same to the person who he knows to be the holder, forthwith surrender it to the authority by which it was issued or to the nearest Police Station.

3.16. Effectiveness of conductor's licence issued by any other State.—

(1) A conductor's licence issued by any other competent authority outside Rajasthan shall not be effective in Rajasthan unless countersigned by a Licensing Authority of Rajasthan or recognised under the reciprocal agreement.

(2) the holder of conductor's licence issued by competent authority of another State, at any time apply to the Licensing Authority in Form R.S. 3.10 for counter signature alongwith prescribed fee under rule 3.17.

(3) The applicant possesses a good moral character (Character Certificate.)

(4) The Licensing Authority after satisfaction shall countersign the licence and return the same to the holder.

3.17. Fees.— The fees which shall be charged under the provisions of this Chapter shall be as specified in the Table below:—

TABLE

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of appeal under rule 3.8	Rs. 500/—	3.8
2.	In respect of duplicate conductor's licence	Rs. 300/—	3.11, 3.12 3.13, 13.2
3.	In respect of conductor's badge & duplicate badge	Rs. 300/—	3.15, 13.2
4.	In respect of countersignature of conductor's licence	Rs. 200/—	3.16]

**CHAPTER IV
REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES**

4.1. Registering Authority.— (1) The Registering Authority shall be the District Transport Officer so appointed for the District or the Transport Inspector specially authorised by the Transport Commissioner to perform the duties of the Registering Authority.

1. Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015)
2. Subs. by G.S.R. 25, dated 24.6.2000 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 24.6.2000).

(5) कोई परिचालक अपना बैज किसी व्यक्ति को उधार नहीं देगा या अन्तरित नहीं करेगा। यदि व्यक्ति को बैज मिलता है और उसे उसी व्यक्ति को वापस नहीं करता है, जिसे वह जानता है कि धारक है, तो उसे तुरन्त उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा यह जारी किया गया था या नजदीक के स्टेशन को सौंप देगा।

3.16. किसी अन्य राज्य द्वारा जारी परिचालक लाइसेंस की प्रभावशीलता.— (1) कोई लाइसेंस जो राजस्थान के बाहर के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, राजस्थान में तब तक प्रभावशील नहीं होगा, जब तक कि उस पर राजस्थान के अनुज्ञापन-प्राधिकारी प्रतिहस्ताक्षर नहीं कर दिये गये हों या आपसी करार द्वारा उसे मान्यता नहीं दे दी गई हो।

(2) किसी दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये परिचालक लाइसेंस का धारक भी समय अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये प्ररूप आर.एस. 3.10 में आवेदन 3.17 के अधीन निर्धारित फीस के साथ कर सकेगा।

(3) आवेदक अच्छा नैतिक चरित्र रखता है (चरित्र प्रमाण-पत्र)

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी अपने समाधान के बाद लाइसेंस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे धारक को वापस देगा।

3.17. फीस.— फीस, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन प्रधारित की जायेगी, निम्न दी गई शर्तों में विनिर्दिष्टानुसार होगी:—

सारणी

प्रयोजन	राशि (रुपयों में)	नियम
2	3	4
नियम 3.8 के अधीन अपील के संबंध में कण्डक्टर की अनुलिपि अनुज्ञप्ति के बारे में	500/- रु. 300/-	3.8 3.11, 3.12 3.13, 13.2
कण्डक्टर के बैज और डुप्लीकेट बैज के बारे में	रु. 300/-	3.15, 13.2
कण्डक्टर की अनुज्ञप्ति के प्रतिहस्ताक्षर के बारे में	रु. 200/-	3.16]

अध्याय-4

मोटरयानों का रजिस्ट्रीकरण

4.1. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी.— (1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिले के लिये इस रूप में नियुक्त किया गया जिला परिवहन अधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत परिवहन निरीक्षक होगा।

वि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./11/92/12004, दिनांक 30.6.2015, एस.ओ. 77 राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(1) दिनांक 1.7.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। एस.आर. 25, दिनांक 24.6.2000 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 24.6.2000 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

¹[(2) For the purpose of registration of non-transport vehicles on first sale under sub-section (3), (5) and (6) of sections 41 of the Act from a dealer holding valid trade certificate, the commissioner may empower as Registering Authority subject to the terms and conditions and qualifications as may be specified from time to time, any dealer as aforesaid or any person who has sufficient administrative experience and is in the regular employment of such dealer.

(3) Registering Authority for the purpose of the rule 62 to 72 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be the Regional Transport Officer so appointed for the region.

4.2. Temporary Registration.— (1) Application for temporary registration for any one of the following purposes shall be in Form 4.1:—

(a) when any motor vehicle is sold or distributed by the manufacturer to his dealer or sub-dealer or its branch for resale within or outside the State;

Explanation.— Temporary registration issued to any such vehicle shall ceased to be in force as soon as it reaches to the premises of the dealer or sub-dealer or its branch;

(b) when a motor vehicle is sold or distributed by the dealer of the motor vehicle are to be taken away for registration from the jurisdiction of one Registering Authority to the jurisdiction of another Registering Authority within the State or outside the State; and

(c) when a motor vehicle is sold or distributed as a chasis and is taken for the body building in the premises of a body builder within the State or outside the State.

(2) The temporary certificate of registration shall be issued on payment of prescribed fee and in Form R.S. 4.2 and shall ordinarily be valid for a period not exceeding one month.

(3) The authority granting a temporary certificate of registration shall, in case when registration under section 40 of the Act is proposed to be affected by another authority, forward to the later a copy of Form R.S. 4.2.

(4) The authority granting temporary certificate of registration shall assign a temporary registration mark to the vehicle and the owner shall cause the said mark to be affixed to the front and rear of the vehicle in manner provided for registration mark in the Central Rules.

(5) The temporary registration marks to be assigned by the authority prescribed under sub-rule (4) shall be RJ following by the district code and below the line Temp followed by registration number by not more than four figure. For this a separate register shall be maintained.

²[4.2-A. **Re-registration of Transport Vehicles.**— Transport Vehicles which complete 15 years from the date of their first registration shall be re-registered. A transport vehicle shall not be deemed to be validly registered for the purpose of section 39 after the expiry of 15 years from the date of its first registration until the vehicle is re-registered. The re-registration shall be made in the following manner;—

1. Subs. by G.S.R. 92, dated 6.2.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 6.2.2003).
2. Ins. by G.S.R. 105, dated 13.3.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 13.3.2003).

1(2) विधिमान्य व्यापार प्रमाण-पत्र धारण करने वाले किसी भी व्यापारी से अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (3), (5) और (6) के अधीन प्रथम विक्रय पर गैर परिवहन यानों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये आयुक्त, यथापूर्वोक्त किसी भी व्यवहारी या ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव रखता हो और ऐसे व्यवहारी के नियमित नियोजन में हो, ऐसे निबंधनों, शर्तों और अर्हताओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में सशक्त कर सकेगा ॥

(3) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 से 72 तक के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी प्रदेश के लिये इस रूप में नियुक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

4.2. अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.— (1) निम्नलिखित में से किसी एक प्रयोजन के लिये अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्ररूप आर.एस. 4.1 में होगा:—

(क) जब कोई मोटर यान निर्माता द्वारा, राज्य के भीतर या बाहर पुनर्विक्रय करने के लिये, अपने व्यवहारी या उपव्यवहारी को या इसकी शाखाओं को बेचा या वितरित किया जाये;

स्पष्टीकरण— ऐसे किसी यान को जारी किया गया अस्थायी रजिस्ट्रीकरण, ज्यों ही वह यान व्यवहारी या उपव्यवहारी या उसकी शाखा के परिसर में पहुंचे, प्रवृत्त नहीं रह जायेगा;

(ख) जब व्यवहारी द्वारा बेचा या वितरित किया गया कोई मोटर यान रजिस्ट्रीकरण के लिये एक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता से दूसरे रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जाये; और

(ग) जब कोई मोटर यान चेसिस के रूप में बेचा या वितरित किया जाये और उसे बॉडी निर्माता के परिसर पर राज्य के भीतर या राज्य के बाहर ले जाया जाये।

(2) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र निर्धारित फीस देने पर प्ररूप आर.एस. 4.2 में जारी किया जायेगा और साधारणतया एक मास से अधिक अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा।

(3) जब अधिनियम की धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी दूसरे प्राधिकारी द्वारा किया जाना प्रस्तावित हो, तो अस्थायी रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र देने वाला प्राधिकारी उस दूसरे प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 4.2 की प्रति अग्रेषित करेगा।

(4) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र देने वाला प्राधिकारी उस यान को एक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित करेगा और उसका स्वामी उक्त चिन्ह को केन्द्रीय नियमों में रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह के लिये बताये गये तरीके से उस यान के आगे और पीछे लगवायेगा।

(5) उप-नियम (4) में विहित अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले अस्थायी रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह में "Temp" के बाद जिला कोड और लाइन के नीचे "Temp" और उसके आगे रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी, चार अंकों से अधिक नहीं होगी। इसके लिये एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा।

4.2क. परिवहन यानों का पुनः रजिस्ट्रीकरण.— ऐसे परिवहन यान जो उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं, पुनः रजिस्ट्रीकृत किये जायेंगे। कोई परिवहन यान प्रथम रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 15 वर्ष के अवसान के पश्चात् धारा 39 के प्रयोजनों के लिये एक विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह यान पुनः रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता। पुनः रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:—

जी.एस.आर. 92, दिनांक 6.2.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 6.2.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

जी.एस.आर. 105, दिनांक 13.3.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 13.3.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

- (1) An application for re-registration shall be made to the Registering Authority in whose jurisdiction the owner has the residence or place of business where the vehicle is normally kept.
- (2) (i) Where the vehicle is registered in the state, an application for re-registration of the vehicle shall be made within a period of not more than ninety days before the completion of 15 years from the date of its first registration :
- Provided that in case of vehicles which have completed 15 years or more on the commencement of the Rajasthan Motor Vehicle (IInd Amendment) Rules, 2003 and for those vehicles which shall be completing 15 years within a period of 90 days from the date of commencement of the Rajasthan Motor Vehicles (IInd Amendment) Rules, 2003 the period allowed shall be 90 days:
- Provided further that the vehicle shall be deemed to be validly registered during period allowed for re-registration.
- (ii) Where the vehicle is registered outside the State and is brought in the state for assignment of new registration mark, transfer of ownership, or for change of residence or place of business in this State, the said period shall be within one year from the date of arrival of the vehicle in the state or from the date of assignment, whichever is earlier.
- (3) An application for re-registration shall be made in form R.S. 4.1-A and shall be accompanied by.—
- (a) Registration Certificate of the vehicle;
 - (b) Valid insurance certificate alongwith its attested photo-copy;
 - (c) Proof of address by way of any one of the documents referred to in rule 4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;
 - (d) Valid fitness certificate alongwith its attested photo-copy or application for fitness certificate;
 - (e) 3 Passport size photographs of the owner;
 - (f) Tax clearance certificate/M.T.C. IV (alongwith attested photo-copy) as prescribed in the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, as the case may be;
 - (g) Inter-district no objection certificate, if applicable;
 - (h) Consent of the financier for re-registration;
 - (i) Fees equal to the amount as prescribed for the registration of similar type of vehicles in the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Note:— Attested copies of documents mentioned in above sub-clauses (b), (d) & (f) shall be verified form original certificates and original certificates shall be returned.

- (1) पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जायेगा जिसकी अधिकारिता में स्वामी का निवास या कारबार का स्थान है जहां यान सामान्यतः रखा जाता है।
- (2) (i) जहां यान राज्य में रजिस्ट्रीकृत है, वहां यान के पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण करने के पूर्व नब्बे दिन से अनधिक की कालावधि के भीतर किया जायेगा :
- परन्तु ऐसे यानों की दशा में, जिन्होंने राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 का प्रारम्भ होने पर 15 वर्ष या उससे अधिक पूर्ण कर लिये है और उन यानों के लिये जो राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 का प्रारम्भ होने की दिनांक से 90 दिन की कालावधि के भीतर 15 वर्ष पूर्ण करेंगे, अनुज्ञात कालावधि 90 दिन होगी :
- परन्तु यह और कि पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये अनुज्ञात कालावधि के दौरान यान विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत समझा जावेगा।
- (ii) जहां यान राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत है और राज्य में नये रजिस्ट्रीकरण—चिन्ह के समनुदेशन, स्वामित्व के अन्तरण, या राज्य में निवास या कारबार के स्थान के परिवर्तन के लिये लाया जाता है, वहां उक्त कालावधि यान के राज्य में आगमन की दिनांक से यान समनुदेशन की दिनांक से, इनमें से जो भी पहले हो, एक वर्ष के भीतर की होगी।
- (3) पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्ररूप आर.एस. 4.1क में किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित होंगे:—
- (क) यान का रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र;
- (ख) विधिमान्य बीमा प्रमाण—पत्र उसकी अनुप्रमाणित फोटो प्रति सहित;
- (ग) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट किसी भी एक दस्तावेज के रूप में पते का सबूत;
- (घ) विधिमान्य ठीक हालत में होने का प्रमाण—पत्र उनकी अनुप्रमाणित फोटो प्रति सहित या ठीक हालत में होने के प्रमाण—पत्र हेतु आवेदन;
- (ङ) स्वामी के पासपोर्ट आकार के तीन फोटो;
- (च) राजस्थान मोटर यान काराधान नियम, 1951 में यथा विहित कर समाशोधन प्रमाण—पत्र/एम.टी.सी. IV (अनुप्रमाणित फोटो प्रति सहित), जैसी भी स्थिति हो;
- (छ) अन्तर्जिला अनापत्ति प्रमाण—पत्र यदि लागू हो;
- (ज) पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये फाइनेन्सर की सहमति;
- (झ) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में समान प्रकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिये यथा विहित रकम के बराबर फीस;

नोट्स— उपर्युक्त उप-खण्ड (ख), (घ) और (च) में वर्णित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां मूल प्रमाण—पत्रों से सत्यापित की जायेंगी और मूल प्रमाण—पत्र लौटा दिये जायेंगे।

- (4) If the owner fails to make an application within the period prescribed under clause (2), the Registering Authority shall require the owner to pay in lieu of any action taken against him under section 177, an amount as follows:-
- (i) Rs 50, if the delay does not exceed thirty days, and
 - (ii) Rs. 100, if the delay exceeds thirty days.
- (5) On receipt of an application, the Registering Authority shall, before re-registering and assigning a new registration mark, require the owner to produce the motor vehicle before him or before the Motor Vehicles Inspector or Motor Vehicle sub-Inspector, so that the Registering Authority may satisfy himself about the particulars of the Motor Vehicle.
- (6) On being satisfied, the Registering Authority shall issue to the owner of the Motor Vehicle, a certificate of registration in Form 23 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 while doing so he shall cancel the original certificate of registration and such cancelled certificate of registration shall be kept in the office of the Registering authority.
- (7) The Registering Authority re-registering the vehicle shall intimate to the original Registering Authority about the new registration mark of the vehicle in Form R.S. 4.5A
- (8) The validity of certificate of registration of re-registered vehicle under this rule shall be 15 years from the date of its re-registration subject to the age limit, if any, prescribed under section 59 of the Motor Vehicles Act, 1988.]

[4.3. Allotment of Registration Number within the series.- On receipt of an application the Registering Authority, while assigning registration mark to a new vehicle or already registered vehicle in another State, shall assign the registration mark which strictly falls in serial after the last registration mark assigned :

Provided that the State Government may allow to allot registration mark in advance ²{.....} in a manner specified by Transport Commissioner on payment of fee specified by the State Government.]

4.4. Registration of vehicles disposed off by the Defence Forces.- Motor vehicle disposed off by the Defence Forces shall not be registered/assigned unless its military colours are decoloured.

4.5. Transport Vehicle-particulars to be printed on.- (1) Save in the case of motor cabs or trailers of nature specified in Clause (i) of sub-section (3) of section 66 of the Act, the following particulars in respect of every transport vehicle shall be exhibited on the left hand side of the vehicle in the manner described i.e.-

- (i) the name of the owner as set forth in the registration certificate and his address.
- (ii) unladen weight denoted by W.W.kgs.

1. Subs. by G.S.R. 92, dated 5.11.1999 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(C)(I), dated 5.11.1999).
 2. Deleted by No.F(229)/Pari/Rules/HQ/2003/541 Dated 23.08.2010.

- (4) यदि स्वामी खण्ड (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी धारा 177 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बजाय स्वामी से निम्नलिखित रकम का संदाय करने की अपेक्षा करेगा:-
- (i) 50/- रु. यदि विलम्ब 30 दिन से अधिक नहीं है
- (ii) 100/-रु. यदि विलम्ब 30 दिन से अधिक है
- (5) आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पुनः रजिस्ट्रीकरण करने और नया रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित करने के पूर्व स्वामी से मोटर यान को अपने समक्ष या मोटर यान निरीक्षक या मोटर यान उप-निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करेगा जिससे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यान की विशिष्टियों के बारे में अपना समाधान कर सके।
- (6) समाधान हो जाने पर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यान के स्वामी को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप 23 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा, ऐसा करते समय वह रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाण-पत्र को रद्द करेगा और रजिस्ट्रीकरण का ऐसा रद्द प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।
- (7) यान का पुनः रजिस्ट्रीकरण करने वाला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यान के नये रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह के बारे में मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 4.5-क में सूचना देगा।
- (8) इस नियम के अधीन पुनः रजिस्ट्रीकृत यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को विधिमान्यता, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 59 के अधीन विहित आयु सीमा, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, उसके पुनः रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 15 वर्ष होगी।

4.3 श्रृंखला के भीतर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का आवंटन.— कोई आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, किसी नये यान या अन्य किसी राज्य में पहले से रजिस्ट्रीकृत किसी यान को रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित करते समय, ऐसा रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित करेगा जो समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह के ठीक पश्चात् श्रृंखला में ही पड़ता हो :

परन्तु राज्य सरकार, परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस पर क्रम से पूर्व, रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह आवंटित करने की [.....] अनुज्ञा दे सकेगी।

4.4 सुरक्षा-बल द्वारा निर्वर्तित यानों का रजिस्ट्रीकरण.— सुरक्षा-बल द्वारा निर्वर्तित मोटर यान, जब तक उसके मिलिटरी रंगों को हटाया नहीं जाये, रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जायेगा।

4.5 परिवहन यान पर अंकित की जाने वाली विशिष्टियां.— (1) अधिनियम की धारा 66 की (3) के खण्ड (i) में वर्णित प्रकार के मोटर-कैबों या ट्रेलरों को छोड़कर, प्रत्येक परिवहन यान के निम्नलिखित विशिष्टियां बताए गये तरीके से यान के बायें हाथ की ओर प्रदर्शित की जायेंगी,

स्वामी का नाम जैसा रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र में दिया है और उसका पता।

समदान रहित भार WW Kgs. द्वारा बताया जाये।

आर. 92, दिनांक 5.11.1999 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 5.11.1999 पर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

रू.7(229)परि/रूल्स/एच.क्यू./2003/541 दिनांक 23.08.2010 द्वारा विलोपित किया

- (iii) gross vehicle weight denoted by G.L.W.kgs.
- (iv) in case of Passenger Transport vehicle, the number of passengers excluding the driver and conductor specified in the permit of the vehicle denoted by PASS
- (v) the registered front axle weight denoted by FAW.....kgs.
- (vi) the registered rear axle weight denoted by RAW.....kgs.
- (vii) the registered axle weight, each intermediate axle, if any denoted by M.A.W.kgs.
- (viii) the number and size of the tyres :-
 - (1) Front axle denoted by NOS
 - (2) Rear axle denoted by NOS
 - (3) Intermediate axle denoted by NOS

(2) The name of the district and the region in which vehicle is registered shall be painted on the right hand side of every vehicle and the registration mark shall also be painted on right and left side as well as in the front and rear side of every transport vehicle. All these shall be in English letter and numerals and shall certify in respect of dimensions, spacings and other respect, the condition as prescribed by the Central Government in their rules or in notification. Painting of the name and registration mark shall be in addition of the exhibition of registration mark in front and the rear as required by the rules of the Central Government.

(3) The weight shall be stated in kilograms and the particular shall be set forth in English or Hindi letters and numerals each not less than the size prescribed by the Central Government.

(4) Vehicles registered under section 60 of the Act need not to exhibit the particulars specified in Clauses (i), (iv) and (viii) of sub-rule (1).

4.6. Registration Fee-Exemption.— (1) The Government may by notification in the Rajasthan Gazette make exemption in regard to the registration fee payable in respect of any motor vehicle or class of motor vehicles.

(2) Motor ambulance used solely for the convenience of sick or injured as may be notified by the Government from time to time, shall be registered free of charge:

Provided that the fee as prescribed by the Central Government shall be charged for issue of duplicate copy of registration certificate.

4.7. Intimation in respect of vehicle not registered within the State.— When any motor vehicle which is not registered in the State, has been kept in the State for a continuous period of more than 30 days, the owner or other person incharge of the vehicle shall send intimation to the Registering Authority in Form 4.12 within 2 weeks after expiry of 30 days from the date of the vehicle brought into the state in whose jurisdiction vehicle is used.

4.8. Notice of alteration of Motor Vehicle under sub-section (1) of section 52 of the Act.— (1) The notice by the owner of a motor vehicle to the Registering Authority in accordance with sub-section (1) of section 52 shall be in Form R.S. 4.13.

- (iii) सकल यान भार—GLW Kgs. द्वारा बताया जाये।
- (iv) यात्री परिवहन यान के मामले में—यान के परमिट में अंकित यात्रियों की संख्या, जिसमें चालक और परिचालक नहीं होंगे— Pass..... (यात्री सं.....) द्वारा बताया जाये।
- (v) रजिस्ट्रीकृत सामने का धुरी—वजन— FAW..... Kgs. द्वारा बताया जाये।
- (vi) रजिस्ट्रीकृत पिछली धुरी का वजन— RAW Kgs. द्वारा बताया जाये।
- (vii) रजिस्ट्रीकृत धुरी वजन, प्रत्येक बीच की धुरी, यदि कोई हो,— MAWKgs. द्वारा बताया जाये।
- (viii) टायरों की संख्या और आकार—
 - (1) सामने की धुरी— NOS द्वारा बताई जाये।
 - (2) पिछली धुरी— NOS..... द्वारा बताई जाये।
 - (3) बीच की धुरी— NOS द्वारा बताई जाये।

(2) जिले और रीजन का नाम, जिसमें वह यान रजिस्ट्रीकृत है, प्रत्येक परिवहन यान के दाये हाथ की ओर तथा साथ ही साथ सामने व पीछे अंकित किये जायेंगे। ये सब अंग्रेजी अक्षरों और अंकों में होंगे और माप, स्थान व अन्य के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके नियमों में या अधिसूचना में विहित शर्त को पूरा करेंगे। केन्द्रीय सरकार के नियमों द्वारा जैसा चाहा गया है, रजिस्ट्रीकरण—चिन्ह आगे और पीछे प्रदर्शन करने के अलावा नाम व रजिस्ट्रीकरण—चिन्ह का अंकन किया जायेगा।

(3) भार किलोग्राम में दिया जायेगा और विवरण अंग्रेजी या हिन्दी के अक्षरों और अंकों में होगा, जो प्रत्येक उस साइज से कम नहीं होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित निर्धारित की गई है।

(4) अधिनियम की धारा 60 के अधीन रजिस्ट्रीकृत यानों को उप—नियम (1) के खण्ड (i), (iv) और (viii) में वर्णित विवरण प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।

4.6. रजिस्ट्रीकरण फीस—छूट.— (1) सरकार राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मोटर यान या मोटर यानों की श्रेणी के बारे में देय रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट दे सकेगी।

(2) एम्बुलेंस मोटर यान जो केवल रोगी, या घायल को ले जाने के लिये है, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये, बिना फीस रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण—प्रमाण—पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित फीस ली जावेगी।

4.7. राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं किये गये यान के बारे में सूचना.— जब कोई मोटर यान, जो राज्य में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तीस दिनों से अधिक की निरन्तर अवधि के लिये राज्य में रखा जाता है, तो उस यान का स्वामी या भारसाधक उस दिनांक से, जिससे वह यान राज्य में लाया गया है, 30 दिन की समाप्ति के बाद दो सप्ताह के भीतर प्ररूप 4.12 में उस रजिस्ट्रीकर्ता—प्राधिकारी को सूचना देगा, जिसकी अधिकारिता में यान उपयोग में लिया जाता है।

4.8. अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन मोटर यान में परिवर्तन की सूचना— (1) धारा 52 की उप-धारा (1) के अनुसार मोटर यान के स्वामी द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचना देना जाने वाला नोटिस प्ररूप आर.एस. 4.13 में होगा।

(2) The Registering Authority on receipt of such notice if the approval has been accorded may require the owner of a motor vehicle to produce the certificate of registration in respect of vehicle before him or his nominee within seven days from the date on which such requisition was made for the purpose of the revision of the entries therein.

4.9. Registration Certificate-Lost or destruction of-intimation.- If at any time, the registration certificate is lost or destroyed, the owner shall forthwith intimate the fact in writing to the Registering Authority by whom the registration certificate was issued or by whom registration mark of the vehicle was assigned under section 47 of the Act and shall apply in Form prescribed by Central Government to the said authority for the issue of duplicate registration certificate.

4.10. Intimation to original Registering Authority.- The Registering Authority who makes the endorsement of transfer shall intimate to the original registering Authority in Form R.S. 4.4. and in case of assignment of fresh registration mark shall intimate to the original Registering Authority in Form R.S. 4.5.

4.11. Registration Certificate Authority to suspend.- Any Police Officer not below the rank of Dy. S.P. and any Transport Officer, not below the rank of a ¹[Motor Vehicle Sub-Inspector], may suspend the registration certificate of a motor vehicle under section 53 of the Act.

4.12. Information regarding stolen vehicle.- (1) The Director General of Police shall direct the concerned officer or offices to supply information regarding stolen and stolen vehicle which have been recovered in Form R.S. 4.3 to the Transport Commissioner, Rajasthan by the 7th day of the month next following month and send a copy thereof to the Registering Authority where the vehicle is registered.

(2) On receipt of such intimation, the Transport Commissioner shall inform all the registering authorities to details of the stolen vehicle.

4.13. Production of Registration Certificate before the Registering Authority.- If at any time the Registering Authority requires to enter or revise the entries of particulars relating to Gross Vehicle Weight he shall call the owner or the person incharge of the vehicle to produce the registration certificate for the correction of G.V.W. and the Registering Authority shall correct the G.V.W. and return the registration certificate to the owner or person to produce the same.

4.14. Production of Motor Vehicle before Registering Authority.- The Registering Authority shall, before registering or assigning a new registration mark under sub-section (1) of Section 47 of the Act, or before entering the particulars of transfer of ownership of a motor vehicles in the Certificate of Registration, require the owner or as the case may be, the transferor to produce the motor vehicles before him or before the Motor Vehicles Inspector or Motor Vehicles Sub-Inspector may as directed, so that the Registering Authority may satisfy himself about the particulars of the Motor Vehicles mentioned in the form of application for registration or recorded in the certificate of registration with a view to ensure

1. Subs. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003).

(2) ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, यदि अनुमोदन कर दिया गया है, तो मोटर यान के स्वामी को उस यान के बारे में उसके या उसके नाम-निर्देशिती के सामने रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र ऐसी मांग करने की दिनांक से 7 दिनों के भीतर उसकी प्रविष्टियों का पुनरीक्षण करने के लिये प्रस्तुत करने को कहेगा।

4.9. रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना.— यदि किसी समय, रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो स्वामी तुरन्त इस तथ्य की सूचना लिखित में उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा, जिसने वह रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र जारी किया था या जिसने अधिनियम की धारा 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित किया था और वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्ररूप में उक्त प्राधिकारी को डुप्लीकेट रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन करेगा।

4.10. मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को सूचना.— रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जो अन्तरण का पृष्ठांकन करता है, वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 4.4 में सूचना देगा और नया रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह देने के मामले में मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 4.5 में सूचना देगा।

4.11. रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र का निलम्बन-कर्ता प्राधिकारी.— कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक पुलिस की श्रेणी से नीचे का नहीं है और कोई परिवहन अधिकारी, जो [मोटर यान उप-निरीक्षक] की श्रेणी से नीचे का नहीं है, इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र को निलम्बित कर सकेगा।

4.12. चोरी गये यान के बारे में सूचना.— (1) पुलिस महानिदेशक सम्बन्धित अधिकारियों या कार्यालयों को, चुराये गये और चुराये गये, पर बरामद कर लिये गये यानों के बारे में सूचना प्ररूप आर.एस. 4.3 में परिवहन आयुक्त, राजस्थान को अगले महीने के सातवें दिन तक भेजने का निदेश देगा और उसकी एक प्रति उस रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा, जहां यान रजिस्ट्रीकृत है।

(2) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, परिवहन आयुक्त चुराये गये यानों का विवरण सब रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारियों को सूचित करेगा।

4.13. रजिस्ट्रीकर्ता-प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना.— यदि किसी समय रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सकल यान भार से सम्बन्धित विवरण की प्रविष्टियों को अंकित या पुनरीक्षित करना चाहे, तो वह यान के स्वामी या भार साधक व्यक्ति को सकल यान भार को सही करने के लिये रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र पेश करने के लिये बुलायेगा और रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सकल यान भार को सही करेगा और रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र स्वामी या उस व्यक्ति को लौटा देगा।

4.14. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष मोटर यान का प्रस्तुतीकरण.— रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के अधीन, रजिस्ट्रीकरण करने या नया रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र में मोटर यानों के स्वामित्व के अन्तरण का विवरण अंकित करने से पहले, स्वामी या, यथास्थिति, अन्तरिती को उसके सामने या मोटर यान निरीक्षक या मोटर यान उप-निरीक्षक के सामने, जैसा निदेश दिया जाये, मोटर यानों को प्रस्तुत करने को कहेगा, ताकि रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण आवेदन के प्ररूप में वर्णित या रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र में अभिलिखित मोटर यानों के विवरण के बारे में स्वयं का समाधान इस

1. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

that the vehicle complies with the provisions of Chapter VII of the Act and the rules made thereunder.

4.15. Appellate Authority.— (1) The authority to hear the appeals against any appealable order passed by the Registering Authority under this Chapter of the Act shall be the Regional Transport Officer.

(2) The authority to hear appeal against the order passed by any Police Officer or Motor Vehicle Inspector u/s 53 read with rule 4.11 shall be the Regional Transport Officer.

(3) The authority to hear the appeal against the order passed in respect of certificate of fitness u/s 56 shall be the Regional Transport Officer having jurisdiction in the area in which the order was passed.

4.16. Procedure of Hearing of Appeals.— (1) The appeal referred in Sections 45, 50, 54, 55, and 57 of the Act shall be preferred in duplicate in Form of memorandum set forth concisely the grounds of objections to the order of the Registering Authority or Inspector of motor vehicles or the Police Officer and shall be accompanied by the prescribed fee in cash or stamps and a certified copy of the order. If the appeal succeeds the appellate authority or the Registering Authority concerned, as the case may be, refund the fee in whole or in part as he may deem fit.

(2) The appellate authority, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such further enquiry, if any as it may deem necessary, may confirm, vary or set-aside order of the Registering Authority, Inspector of Motor Vehicles or the Police Officer, as the case may be, and shall make the order accordingly.

(3) Any person preferring an appeal under the provisions of Chapter IV of the Act and the rule shall be entitled to obtain a copy of any document filed with the Registering Authority in connection with any order against which he is preferring the appeal in the prescribed manner.

(4) Subject to the provision of sub-rule (3) the Regional Transport Authority or the Registering Authority may give any person interested in appeal preferred under Chapter IV of the Act, copies of any document connected with the appeal in the prescribed manner.

4.17. Amount payable in lieu of action u/s 177 of the Act.— ¹[(1) On a failure of the owner in making application for certificate of registration under sub-section (1) of Section 41 of the Act or application for renewal of Certificate of Registration under sub-section (8) of Section 41 of the Act in the prescribed time, or]

(2) On a failure of the owner in making application for assignment of new registration mark on removing of vehicle to another State under sub-section (1) of Section 47 of the Act within the prescribed time, or,

(3) On a failure of a owner in intimating the change of residence or place of business under Sub-section (1) of Section 49 of the Act in the prescribed time.

1. Subs. by G.S.R. 21, dated 4.12.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.1993). (w.e.f. 27.7.1993).

दाएँ कोण से कर सके कि मोटर यान अधिनियम के अध्याय VII और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों की अनुपालना करते हैं।

4.15. अपील प्राधिकारी.— (1) अधिनियम के इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा पारित किसी अपील-योग्य आदेश के विरुद्ध अपीलें सुनने वाला प्राधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

(2) धारा 53 सपठित नियम 4.11 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी या मोटर यान निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने वाला प्राधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा।

(3) धारा 56 के अधीन उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बारे में पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने वाला प्राधिकारी वह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी होगा, जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता है, जिसने वह आदेश पारित किया था।

4.16. अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया.— (1) अधिनियम की धारा 45, 50, 54, 55 और 57 में वर्णित अपील एक झापन के रूप में दो प्रतियों में होगी, जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या मोटरयानों के निरीक्षक या पुलिस अधिकारी के आदेश के प्रति आक्षेपों के आधारों को संक्षेप में दिया जायेगा और इसके साथ निर्धारित फीस नकद या स्टाम्प में तथा उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति होगी। यदि अपील सफल होती है, तो अपील प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, यथास्थिति, सम्पूर्ण या भागतः, जैसा उचित समझे, फीस का प्रतिदाय करेगा।

(2) अपील-प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और ऐसी और जांच, यदि कोई, जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, मोटर यानों के निरीक्षक या पुलिस अधिकारी, यथास्थिति, के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, बदल सकेगा या अपास्त कर सकेगा और तदनुसार आदेश करेगा।

(3) अधिनियम के अध्याय IV और नियम के उपबन्धों के अधीन अपील करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकर्ता-प्राधिकारी को दिये गये किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि विहित तरीके से प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उसने किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के सम्बन्ध में दिया था।

(4) उप-नियम (3) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन की गयी अपील में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति को अपील से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रतियां, विहित रीति से, दे सकेगा।

4.17. अधिनियम की धारा 177 के अधीन कार्रवाई के एवज में संदेय रकम.— ¹[(1) अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन या अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (8) के अधीन रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये आवेदन विहित समय में करने में स्वामी के असफल रहने पर, या]

(2) अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के अधीन यान को किसी दूसरे राज्य में हटाकर ले जाने पर नया रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह समनुदेशित करने के लिये निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने में स्वामी के असफल रहने पर, या

(3) अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन निवास स्थान पर व्यापार स्थान के परिवर्तन की निर्धारित समय के भीतर सूचना देने में स्वामी के असफल रहने पर या,

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 27.7.1993).

(4) On a failure to give timely intimation under Sub-section (3) of Section 50 and Sub-section (5) of Section 50 of the Act by transferor or transferee.

The owner or transferee or transferor as the case may be, shall be liable to pay sum of Rs. 25/- per calendar month or part thereof by the application or intimation as the case may be is delayed:

Provided that the amount so payable shall not exceed Rs. 100/- in each case separately.

4.18. Grant and Renewal of Certificate of Fitness.— (1) A certificate of fitness under section 56 of the Act, shall be granted or renewed by the ¹[District Transport Officer or any Motor Vehicle Inspector/sub-Inspector specially authorised by the Transport Commissioner or person] authorised by the Transport Commissioner or the approved testing station of the district in which the vehicle is paying tax.

²[(IA) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Transport Commissioner may direct to any vehicle or class of vehicles to obtain the certificate under Sec. 56 from any authority, person or approved testing station.]

(2) The application for issue or renewal of fitness certificate shall be in prescribed Form R.S. 4.6 in case of grant and in Form R.S. 4.7 in case of renewal and it shall be presented before the authority in sub-rule (1).

(3) Such authority shall endorse thereon the date, time and place appointed for the next inspection of the vehicle and the owner shall cause the vehicle to be produced accordingly.

(4) If the owner finds that the vehicle cannot be produced for the next inspection on the date endorsed on the fitness certificate, he shall, not less than 15 days before the aforesaid date, apply to such authority to endorse the date of next inspection so changed after stating the reasons for such change.

(5) If date of the next inspection is not endorsed on the fitness certificate as provided in sub-rule (3) an application for the renewal shall be made, not less than one month before the date of expiry of the certificate, and the owner of the vehicle in respect of which such application is made shall cause the vehicle to be produced for inspection on such date at such time and place as such authority may appoint.

(6) If the owner fails to make an application on or before the date as aforesaid or fails to produce the vehicle on the date, time and place fixed before the authority, a penalty at the rate of Rs. 15/-, Rs. 20/- and Rs. 25/- for light, medium and heavy vehicles respectively will be charged for every calendar month or part thereof from the date of expiry of the fitness, but the amount of penalty shall not exceed the amount of fee prescribed for grant and renewal of fitness certificate u/s 64 (o) of the Act, without prejudice to any action which might have been or may be taken for plying the vehicle without mechanical fitness:

Provided that when a vehicle as produced for inspection after the expiry of previous fitness, no fitness shall be granted or renewed unless a receipt of payment of tax due and penalty under sub-rule (6) or any other penalty, is produced to such authority.

(7) If the owner of the vehicle fails to obtain the fitness certificate without informing the reasons thereof to such authorities he shall not be allowed any benefit of non-use on the ground of not having fitness.

1. Subs. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
2. Added by Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)

(4) अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (3) और धारा 50 की उप-धारा (5) के अधीन अन्तरक या अन्तरिती द्वारा समय पर सूचना देने में असफल रहने पर।

स्वामी या अन्तरिती या अन्तरक, यथास्थिति, रु. 25/- प्रति कलेण्डर मास या उसके भाग के लिये जिसमें आवेदन या सूचना, यथास्थिति, देने में देरी हुई है, संदाय करने के दायी होंगे:

परन्तु इस प्रकार संदेय रकम प्रत्येक मामले में अलग से रु. 100/- से अधिक नहीं होगी।

4.18. उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देना और नवीकृत करना.— (1) अधिनियम की धारा 56 के अधीन उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, '[जिला परिवहन अधिकारी या परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई भी मोटर यान निरीक्षक/उप-निरीक्षक या] उस जिले के, जिसमें वह यान कर दे रहा है, अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा दिया या नवीकृत किया जायेगा।

१[(1क) उपनियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, परिवहन आयुक्त किसी यान या यानों के वर्ग को किसी प्राधिकारी, व्यक्ति या अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से धारा 56 के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने हेतु निदेशित कर सकेगा।]

(2) उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने या नवीकृत करने का आवेदन निर्धारित प्ररूप में, जारी करने के लिये प्ररूप आर.एस. 4.6 में और नवीकरण के लिये प्ररूप आर.एस. 4.7 में होगा और इसे उप-नियम (1) में वर्णित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) ऐसा प्राधिकारी उस पर वह दिनांक, समय और स्थान पृष्ठांकित करेगा, जो यान के अगले निरीक्षण के लिये निश्चित किया गया है और स्वामी उस यान को तदनुसार प्रस्तुत करवायेगा।

(4) यदि स्वामी यह पाता है कि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित दिनांक को अगले निरीक्षण के लिये यान को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो वह उपर्युक्त दिनांक से कम से कम 15 दिन पहले प्राधिकारी को अगले निरीक्षण की दिनांक पृष्ठांकित करने के लिये, ऐसे परिवर्तन के कारण बताते परिवर्तन के लिये आवेदन करेगा।

(5) यदि उप-नियम (3) में दिये अनुसार उपयुक्तता प्रमाण-पत्र पर अगले निरीक्षण की दिनांक पृष्ठांकित नहीं है, तो प्रमाण-पत्र की समाप्ति की दिनांक से कम से कम एक महीने पहले नवीकरण के लिये आवेदन किया जायेगा और जिस यान के बारे में ऐसा आवेदन किया गया है, उसका स्वामी उस यान को ऐसी दिनांक को और ऐसे स्थान पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करवायेगा, जो वह प्राधिकारी निश्चित करे।

(6) यदि स्वामी उपरोक्त दिनांक को या उससे पहले आवेदन करने में या प्राधिकारी द्वारा नियत दिनांक, समय और स्थान पर उस यान को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो रु. 15/-, रु. 20/- और रु. 25/- क्रमशः हलके, मध्यम और भारी यानों के लिये शास्ति प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके भाग के लिये उपयुक्तता की समाप्ति के दिनांक से प्रभारित की जायेगी, परन्तु शास्ति की राशि अधिनियम की धारा 64 (ओ) के अधीन उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने या नवीकृत करने के लिये निर्धारित फीस की राशि से अधिक नहीं होगी। यह बिना मैकेनिकल फिटनेस के यान चलाने के लिये, की जा सकने वाली कार्रवाई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना होगा:

परन्तु जब पिछली उपयुक्तता की समाप्ति के बाद यान को निरीक्षण के लिये पेश किया जाता है, तो कोई उपयुक्तता दी या नवीकृत नहीं की जायेगी, जब तक कि देय कर और उप-नियम (6) के अधीन शास्ति या अन्य किसी शास्ति के भुगतान की रसीद ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर दी जाये।

(7) यदि यान का स्वामी ऐसे प्राधिकारियों को कारणों की सूचना दिये बिना उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे उपयुक्तता न होने के आधार पर यान का उपयोग न करने का कोई फायदा नहीं दिया जायेगा।

1. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 4.12.2003).

अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.व्यू/2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

(8) If owing to mechanical breakdown or other cause the motor vehicle is, after the expiry of the fitness certificate remains outside the functional area of the authority by whom the certificate is to be renewed, the District Transport Officer, without prejudice to any penalty to which the owner or the driver may have become liable if the vehicle is in his opinion fit for use, by endorsement in Form R.S. 4.9 and subject to such conditions as he may satisfy authorise its continuous use for such time as may reasonably be necessary for the vehicle to return to the area of the authority by whom the certificate shall be renewed and the vehicle may be driven to such area in accordance with such endorsement but shall not be used after return to that area unless the certificate has been renewed.

¹[(9) The owner of re-registered vehicle shall produce fitness certificate before District Transport Officer so that the new registration mark can be entered in place of earlier registration mark entered on its within a period of 30 days from the date of re-registration.]

4.19. Production of vehicle and inspection thereof.— The vehicle will be produced for inspection at the office of the District Transport Officer concerned or at the approved testing station in the district concerned provided that the Transport Commissioner may in his discretion, in public interest fix any number of other inspection place in the district, as he deem proper. The District Transport Officer will obtain the inspection report in Form R.S. 4.8 from the Motor Vehicle Inspector/ Sub-Inspector or otherwise satisfies himself regarding fulfilment of the requirements of the provisions of Chapter VII of the Act and the rules made thereunder and in case the approved testing station the incharge of the approved testing station will obtain the inspection report in Form R.S. 4.8 from his technical man.

4.20. One certificate for one vehicle.— There shall not be more than one certificate of fitness in respect of any vehicle.

4.21. Un-safe Vehicles-restriction on use.— If a vehicle is damaged at any time so as to be unfit for ordinary use and may in the opinion of any District Transport Officer safely be driven at a reduced speed to a place of repair and if the District Transport Officer is satisfied that it is necessary that the vehicle should be so driven, any District Transport Officer may by endorsement in Form R.S. 4.10 specify the time within which and the condition subject to which, the vehicle may be driven to a specific destination for the purpose of repair and the limit of speed it shall not be driven.

4.22. Exemption of fee.— No fee for grant and renewal of fitness certificate shall be charged from the owner of Tractor with Trolley using the same for agricultural purposes.

4.23. Fitness Certificate-Cancellation or suspension thereof.— If any ²[District Transport Officer/ Motor Vehicle Inspector/Sub-Inspector] on his own inspection is satisfied that the vehicle no more complies with the provisions of Chapter VII of the Act and rules made thereunder, he may cancel or suspend the certificate of fitness of that vehicle:

1. Added by G.S.R. 105, dated 13.3.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(C)(I), dated 13.3.2003).
2. Subs. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).

(8) यदि मैकेनिकल ब्रेक डाउन या अन्य किसी कारण से मोटर यान, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की अवधि के बाद उस प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र से बाहर रहता है, जिसके द्वारा प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाना है, तो जिला परिवहन अधिकारी, उस किसी शास्ति को प्रभावित किये बिना जिसके लिये स्वामी या चालक दायी हो गया है, यदि वह यान उपयोग के लिये उपयुक्त है, तो वह प्ररूप आर.एस. 4.19 में पृष्ठांकन द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो उसका समाधान करे, उस यान का लगातार उपयोग करने के लिये प्राधिकृत करेगा, जो ऐसे समय के लिये होगा, जो उस यान को उचित रूप से उस प्राधिकारी के क्षेत्र में वापस आने के लिये आवश्यक हो, जिसके द्वारा वह प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाना और वह यान ऐसे पृष्ठांकन के अनुसार ऐसे क्षेत्र में चलाया जा सके, परन्तु उस क्षेत्र में वापस आने के बाद उसे तब तक नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि प्रमाण-पत्र नवीकृत नहीं कर दिया जाता है।

[(9) पुनः रजिस्ट्रीकृत यान का स्वामी पुनः रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 30 दिन की कालावधि के भीतर जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष ठीक हालत में होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा ताकि उस पर पूर्व में प्रविष्ट रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह के स्थान पर नया रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह प्रविष्ट किया जा सके।]

4.19. यान को प्रस्तुत करना और उसका निरीक्षण.— यान को सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय पर या सम्बन्धित जिले में स्थित अनुमोदित परीक्षण केन्द्र पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु परिवहन आयुक्त अपने स्वविवेक से लोकहित में, जिले में उतने अन्य निरीक्षण स्थल नियत कर सकेगा जो वह उचित समझे। जिला परिवहन अधिकारी मोटर यान निरीक्षक/उप-निरीक्षक से प्ररूप आर.एस. 4.8 में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा या अधिनियम के अध्याय VII और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों की शर्तों की पूर्ति के बारे में अन्यथा स्वयं का समाधान करेगा और अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के मामले में उस अनुमोदित परीक्षण केन्द्र प्रभारी अपने तकनीकी आदमी से प्ररूप आर.एस. 4.8 में निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

4.20. एक यान के लिये एक प्रमाण-पत्र.— किसी यान के बारे में एक से अधिक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र नहीं होंगे।

4.21. असुरक्षित यानों के उपयोग पर निर्बंधन.— यदि कोई यान किसी समय इतना नुकसानग्रस्त हो जाता है कि वह साधारणतया उपयोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है और जिला परिवहन अधिकारी के अभिमत में उसे मरम्मत करने के स्थान तक, कम की गई गति से सुरक्षापूर्वक चलाया जा सकता है और यदि जिला परिवहन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यक है कि यान को इस तरह चलाया जाना चाहिये तो जिला परिवहन अधिकारी प्ररूप आर.एस. 4.10 में पृष्ठांकन द्वारा वह समय जिसके भीतर और उस शर्त के अध्याधीन, जिस पर उस यान को किसी विशेष गन्तव्य स्थान तक मरम्मत के प्रयोजन से चलाया जा सकेगा और गति की सीमा, जिस पर यह नहीं चलाया जायेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

4.22. फीस से छूट.— ट्रैक्टर मय ट्राली जो कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में लिये जाते हैं, उनके स्वामी से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने और नवीकृत करने के लिये कोई फीस नहीं ली जायेगी।

4.23. उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का रद्दकरण या निलम्बन.— [जिला परिवहन अधिकारी/मोटर यान निरीक्षक/उप-निरीक्षक] का अपने स्वयं के निरीक्षण से यह समाधान हो जाता है कि कोई यान अधिनियम के अध्याय VII के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों की पालना नहीं करता है, तो वह उस यान के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र को रद्द या निलम्बित कर सकेगा:

1. जी.एस.आर. 105, दिनांक 13.3.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 13.3.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

2. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 4.12.2003).

Provided that the authority cancelling or suspending the fitness certificate shall without delay give the owner or the incharge of the motor vehicle a memo in writing stating therein the reasons for doing so:

Provided further that when the authority cancelling or suspending the certificate of fitness is other than the original authority, which granted or renewed the concerned certificate of fitness, it shall endorse a copy of the memo to that authority

[Provided also that no such cancellation shall be made by the cancelling authority unless such authority holds such technical qualification as prescribed under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 or where the cancelling authority does not hold such technical qualification on the basis of the report of an officer having such qualification.]

4.24. Refusal to Grant or Renew-reasons to be given.— (1) If the grant or renewal of certificate of fitness is refused the reasons for the refusal shall be communicated simultaneously to the owner/incharge of the vehicle in Form R.S. 4.11.

(2) The vehicle owner in such case may produce his vehicle for re-inspection after removing the defect and or carrying out the instructions;

The prescribed fee only shall be charged for the second and the subsequent inspection.

4.25. Certificate of Fitness-lost or destruction.— (1) If a certificate of fitness is lost or destroyed the owner of the vehicle shall forthwith report the matter to the authority by whom the certificate was issued or last renewed and shall apply for a duplicate copy alongwith prescribed fee.

(2) Upon receipt of an application and the fee referred to in Sub-Rule (1), the authority shall furnish the owner with a duplicate copy of the certificate duly stamped "DUPLICATE" in 'Red' ink.

(3) No person shall be liable to be convicted for offence u/s 130 of the Act for not producing the fitness certificate at the time when the certificate is demanded, he has already reported the lost or destruction thereof in accordance with Sub-Rule (1) and duplicate copy has not been delivered to him.

4.26. ²[.....]

4.27. Maintenance of a register for registration.— (1) Every Registering authority shall maintain a register of registration of vehicles in the manner prescribed by the Central Government.

(2) Every Registering Authority shall send information of registered/assigned vehicles during the month by the 7th of each succeeding month to the Transport Commissioner in the following proforma:—

1. Added by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).

2. Deleted by Noti. No. F. 7(271) Pari/Rules/HQ/2007, dated 4.10.2007 and After deleted the Rules 4.26 was as follows:—

4.26. Exemption of Road Plant.— Nothing contained in Chapter IV of the Act shall apply to Road Rollers, Graders and other vehicles designed and used solely for the construction and repairs of roads.

परन्तु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र को रद्द या निलम्बित करने वाला प्राधिकारी बिना किसी देरी के उस मोटर यान के स्वामी या भारसाधक को एक ज्ञाप लिखित में ऐसा करने के कारण बताते हुए देगा:

परन्तु यह और कि जब उपयुक्तता प्रमाण-पत्र को रद्द या निलम्बित करने वाला प्राधिकारी उस प्राधिकारी से भिन्न है, जिसने सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण-पत्र दिया या नवीकृत किया था तो वह ज्ञाप की एक प्रति उस प्राधिकारी को पृष्ठांकित करेगा।

परन्तु यह भी कि कोई ऐसा रद्दकरण किसी रद्द करने वाले प्राधिकारी द्वारा तब तक, जब तक ऐसा प्राधिकारी केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन यथा विहित तकनीकी अर्हता न रखता था जहां रद्द करने वाला प्राधिकारी ऐसी कोई तकनीकी अर्हता न रखता हो, वहां ऐसी अर्हतायें रखने किसी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार के सिवाय, नहीं किया जायेगा।

4.24. देने या नवीकरण से इन्कार करना—इसके कारण दिये जायेंगे.— (1) यदि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देने या नवीकरण के लिये इन्कार किया जाता है, तो इन्कार के कारण प्ररूप आर.एस. 4.11 उस यान के स्वामी या भारसाधक को उसी समय संसूचित किये जायेंगे।

(2) ऐसे मामले में यान का स्वामी अपने यान को उसकी कमियां दूर करने और निर्देशों को पूरा करने के बाद पुनर्निरीक्षण के लिये प्रस्तुत कर सकेगा।

द्वितीय या बाद के निरीक्षण के लिये केवल निर्धारित फीस ही ली जावेगी।

4.25. उपयुक्तता प्रमाण-पत्र का खो जाना या नष्ट हो जाना.— (1) यदि उपयुक्तता प्रमाण-पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो यान का स्वामी तुरन्त इस बात की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा, जिसके द्वारा वह प्रमाण-पत्र जारी किया गया था या पिछली बार नवीकृत किया गया था और निर्धारित फीस के साथ डुप्लीकेट प्रति के लिये आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) में वर्णित आवेदन और फीस के प्राप्त होने पर, प्राधिकारी स्वामी को प्रमाण-पत्र डुप्लीकेट प्रति देगा, जिस पर लाल स्याही से "दूसरी-प्रति" की मोहर लगी होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 130 के अधीन इस अपराध के लिये कि उससे जब प्रमाण-पत्र जारी किया गया तो उस समय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया, सिद्धदोष ठहराये जाने का दायी नहीं होगा, यदि उसने उपनियम (1) के अनुसार उसके खोने या नष्ट होने की पहले ही रिपोर्ट कर दी है और उसे डुप्लीकेट प्रति नहीं मिली है।

4.26. ²[.....]

4.27. रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्टर का संधारण.— (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित तरीके से यानों के रजिस्ट्रीकरण का एक रजिस्टर संधारित करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी माह के भीतर रजिस्ट्रीकृत/समनुदेशित यानों की सूचना अगले मास की 7 दिनांक को परिवहन आयुक्त को निम्न प्रपत्र में भेजेगा:—

जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग--4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 4.12.2003).

अधि.सं.एफ. 7(271)/परि/रुल्स/एच.क्यू./2007, दिनांक 4.10.2007 द्वारा विलोपित किया गया। इस विलोपन से पूर्व इस प्रकार था—

4.26. सड़क के प्लान्ट को छूट.— अधिनियम के अध्याय IV में वर्णित कोई भी बात रोड रोलर्स, ट्रैक्टर और दूसरे यानों को जो केवल सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिये बनाये गये हैं और प्लान्ट में लाये जाते हैं, लागू नहीं होंगे।

1. Registration number;
2. Previous Registration number, if any;
3. Whether the motor vehicle is:-
 - (a) new vehicle;
 - (b) imported vehicle
 - (c) ex-army vehicle
4. Maker's name
5. Year of manufacture
6. Engine number
7. Chassis number
8. Number of cylinders
9. Cubic capacity/Horse power
10. Type of fuel used
11. Class of motor vehicle
12. Name and full address of the registered owner
13. Seating Capacity
14. Gross vehicle weight
15. Unladen weight

(3) The Statistical section of the office of the Transport Commissioner shall maintain a State Register of motor vehicles on the basis of the information received from each Registering Authority and shall send in time a printed copy of the said register to the Central Govt., Ministry of Surface Transport within the stipulated time as required by them under their rules.

(4) The State Register may be either in bounded book form or on computer disc or tape.

(5) The State Register for motor vehicle, shall be maintained accordingly to be class of vehicle that is to say transport or non-transport and also if the registration of all type of vehicle is in large number according to the detail classification of the vehicles as decided by Transport Commissioner (moped, two wheeler other than moped, other non-Transport vehicle, public service vehicle, goods carriers taxi cabs (Car and Jeep), etc.

[4.28.Fees.— The fees which shall be charged under the provisions of this chapter shall be as specified in the table below:—

1. Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015)

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या;
2. पहले की रजिस्ट्रीकरण सं., यदि कोई हो;
3. क्या मोटर यान—
 - (क) नया यान है;
 - (ख) आयातित यान है;
 - (ग) भूतपूर्व सेना यान है;
4. निर्माता का नाम;
5. निर्माण का वर्ष;
6. एंजिन संख्या;
7. चैसिस संख्या;
8. सिलेन्डरों की संख्या;
9. क्यूबिक कैपेसिटी/होर्स पावर;
10. काम में आने वाले ईंधन का प्रकार;
11. मोटरयान की श्रेणी;
12. रजिस्ट्रीकृत-स्वामी का नाम व पूरा पता;
13. बैठक क्षमता;
14. सकल यान वजन;
15. बिला लदान वजन।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर परिवहन आयुक्त कार्यालय का सांख्यिकी अनुभाग मोटर यानों की एक राज्य पंजिका संधारित करेगा और उक्त रजिस्टर की एक मुद्रित प्रति केन्द्रीय सरकार, भूतल परिवहन मंत्रालय को उनके नियमों के अधीन जैसा चाहा गया है, निर्धारित समय के भीतर भेजेगा।

(4) राज्य पंजिका या तो एक सजिल्द पुस्तक के रूप में होगी या कम्प्यूटर की डिस्क या टेप के रूप में।

(5) मोटर यानों की राज्य पंजिका यानों की श्रेणी अर्थात् परिवहन या अपरिवहन, के अनुसार संधारित की जायेगी और यदि सब प्रकार के यानों का रजिस्ट्रीकरण अधिक संख्या में है तो परिवहन आयुक्त द्वारा तय किये गये यानों के वर्गीकरण के अनुसार (मोपेड, मोपेड के अलावा दुपहिये, अन्य अपरिवहन यानों, सार्वजनिक सेवायान, माल वाहक, टैक्सी-कैब (कार और जीप) आदि भी संधारित की जायेगी।

[4.28. फीस.— फीस, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन प्रभारित की जायेगी, निम्न दी गयी सारणी में विनिर्दिष्टानुसार होगी:—

1. अधि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./11/92/12004, दिनांक 30.6.2015, एस.ओ. 77 (राज. राजपत्र विशेषांग भाग 4(ग)(1) दिनांक 1.7.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

TABLE

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For temporary registration for each month (a) for Transport Vehicle (b) For Non Transport Vehicle	500/- 200/-	4.2
2.	For subsequent inspection in case of refusal of grant or renewal of fitness certificate for all types of vehicles	100/-	4.24
3.	For duplicate certificate of fitness	100/-	4.25]

CHAPTER V

CONTROL OF TRANSPORT VEHICLES

5.1. State Transport Authority.— (1) The State Transport Authority shall meet at such times and at such places as its Chairman may appoint :

Provided that it shall meet atleast once in a year.

(2) The number of members whose presence shall constitute the quorum shall be two or 50% of the total membership including the Chairman, whichever is higher.

(3) The Chairman, if unable to attend the meeting, shall nominate a member to act as the chairman at the meeting, the Chairman or the acting Chairman nominated under this sub-rule shall have the second casting vote.

(4) Not less than 7 days notice shall be given of any meeting of the State Transport Authority. In case of emergency the Chairman can call meeting on 24 hour's notice.

(5) A nominated non-official member of the State Transport Authority shall hold the office for a period of three years and thereafter until a successor is nominated:

Provided that (i) The Government may, at any time, reduce the period of the office of any such member to the period during which he has till than actually held the office of such member; and

(ii) When such member dies or otherwise vacates the office or when his period of the office is so reduced, his successor shall hold the office for the remainder of the period for which a member whose place³ such successor takes would have hold such office.

(iii) The nominated non-official member of the State Transport Authority shall be entitled to receive for his attending the meeting of the Authority travelling and halting allowance at the scale and on the conditions admissible to 1st class officers and any such member performing any journey, other than to attend a meeting of the authority, in connection with the business of the authority shall with the sanction of the Chairman be entitled to receive travelling and halting allowances likewise.

सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1.	अस्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक मास के लिये (क) परिवहन यान के लिये (ख) अपरिवहन यानों के लिये	500/- 200/-	42
2.	सभी प्रकार के यानों के लिये ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र की मंजूरी या नवीनीकरण से इन्कार करने के मामले में पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिये	100/-	42A
3.	ठीक हालत में होने के प्रमाण-पत्र की अनुलिपि के लिये	100/-	4.25]

अध्याय-5

परिवहन यानों का नियंत्रण

5.1. राज्य परिवहन प्राधिकरण.— (1) राज्य परिवहन प्राधिकारी ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा, जैसा कि इसका अध्यक्ष निश्चित करे :

परन्तु वह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

(2) सदस्यों की संख्या, जिससे गणपूर्ति होगी, दो या अध्यक्ष सहित कुल सदस्यता का 50 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो, होगी।

(3) यदि अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह किसी सदस्य को बैठक के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशित करेगा। अध्यक्ष तथा इस उपनियम के अधीन नामनिर्देशित कार्यवाहक-अध्यक्ष दूसरा निर्णायक मत दे सकेंगे।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक के लिये सात दिन से अनधिक की सूचना दी जायेगी। आपातकाल में अध्यक्ष 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकेगा।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकरण का नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये और इसके बाद जब तक, उसका उत्तरवर्ती नामनिर्देशित न हो जाये, पद धारण करेगा।

परन्तु : (i) सरकार, किसी भी समय, किसी ऐसे सदस्य के पद की अवधि को उस अवधि तक कम कर सकेगी, जिसमें ऐसे सदस्य ने वास्तव में तब तक उसे धारण किया है, और

(ii) जब ऐसा सदस्य मर जाता है या अन्यथा पद खाली कर देता है या जब उसकी पदावधि कम कर दी जाती है, तो उसका उत्तरवर्ती उस शेष अवधि तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य धारण करता, जिसका वह उत्तरवर्ती स्थान लेता है।

(iii) राज्य परिवहन प्राधिकार का नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उसकी उपस्थिति के लिये प्रथम श्रेणी अधिकारी को ग्राह्य मापदण्ड और शर्तों पर यात्रा और विश्राम भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के अलावा प्राधिकरण के कार्य से सम्बन्धित किसी यात्रा के लिये अध्यक्ष की स्वीकृति उसी प्रकार यात्रा और विराम भत्ता पाने का हकदार होगा।